

3  
23/12/14

No. A-11016/ 03 /2014-CLS-II  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Labour & Employment/Shram Aur Rozgar Mantralaya

\*\*\*\*\*

New Delhi, dated the 16<sup>th</sup> December 2014

To

The Registrar General,  
All High Courts.

**Subject: Filling up the posts of Presiding Officer at CGIT-cum-Labour Court, Hyderabad**

Sir,

I am directed to say that the post of Presiding Officer at CGIT-cum-Labour Court, Hyderabad is to be filled up shortly in accordance with the provisions contained in section 7 & 7A of the Industrial Disputes Act, 1947. According to these provisions the post can be held by a judicial officer who is or has been a Judge of a High Court or who has rendered not less than three years service as Additional District Judge or District Judge. A serving Judge can be appointed on deputation basis for a fixed term. A retired Judge is appointed on re-employment basis. As per provision under Section 7 C of the I.D. Act, 1947, a Presiding Officer in a CGIT-cum-Labour Court can continue up to 65 years of age.

2. The scales of pay attached to the post of Presiding Officer of the CGIT-cum-Labour Courts are follows:

- (i) Distt. Judge (Entry Level) – Rs.51,550-1230-58,930-1380-63,070/-
- (ii) Distt. Judge (Selection Grade) Rs. 57,700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290
- (iii) Distt. Judge (Super time Scale) Rs.70,290-1540-76,450/-.

3. It is, therefore, requested that panel of names of Judicial Officers who are willing to be appointed as Presiding Officer in the duty station mentioned above and who fulfill the eligibility conditions may please be furnished to this Ministry **within two months** time from date of issue of this letter, for selection of the suitable officer. The bio-data of the officers may be furnished in the enclosed Proforma. The nomination of judicial officers may please be forwarded along with abstracts of ACRs of the last five years duly certified in the enclosed Proforma along with the ACR dossiers and vigilance clearance at the earliest possible date.

4. It is requested that the circular may be given wide publicity including the Notice Board of the Court so that there is sufficiently large number of candidates applying for the post.

ADJ (ATOPZ)  
M. S.  
23/12/14

Encl: (i) Proforma  
(ii) Copies of terms & conditions

Yours faithfully,

(S.K.Singh)

Under Secretary to the Govt of India

Copy to:

1. Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Jaisalmer House, Man Singh Road, New Delhi with the request that a panel of names of eligible judicial officers who fulfill the requirement may kindly be forwarded to this Ministry.
2. All RLC (C) with the request to take up the matter with the concerned High Court where they are functioning from to expedite panel from the High Courts concerned.



(S.K.Singh)

Under Secretary to the Govt of India

**TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF RETIRED  
JUDICIAL OFFICERS AS PRESIDING OFFICERS OF CENTRAL  
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR  
COURTS.**

- (a) "A Retired Judicial Official appointed as Presiding Officer shall hold the post up to 65 years of age".
- (b) PAY: The pay will be fixed in the scales of
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| (i) Distt. Judge (Entry Level)        | – Rs.51, 550-1230-58,930-1380-63,070             |
| (ii) Distt. Judge (Selection Grade)   | – Rs.57, 700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290 |
| (iii) Distt. Judge (Super time Scale) | – Rs.70,290-1540-76,450                          |
- per month inclusive of gross pension, pension equivalent of other retirement benefits, if any.
- (c) **DEARNESS ALLOWANCE:** The Officer will be entitled to D.A. as per Rules applicable to the Central Govt. employees from time to time subject to the condition that relief of pension is deducted from the emolument drawn during the period of re-employment as per instructions contained in the Ministry of Law's letter No. 66/2/78-Justc. Dated the 4<sup>th</sup> August, 1978.
- (d) **CCA/HRA/MEDICAL CONCESSION/TA:** To be regulated under the Rules as applicable to the Central Government employees.
- (e) **LEAVE:** During the period of re-employment, the officer will be governed by the Central Civil Services (Leave Rules) 1972 as amended from time to time.
- (f) **RESIDENTIAL ACCOMMODATION:** He will be entitled to residential accommodation according to the Rules of the Central Government.
- (g) The period of re-employment will commence from the date of assumption of the charge of the post of Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court under the Central Govt.
- (h) Employment is liable to termination at one month's notice on either side.
- (i) As per provisions of Para 12 of the CCS(Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986, the officer will be entitled to subscribe to Contributory Provident Fund;
- (j) Any amount of overpayment pertaining to the pre-retirement period including the amount written off on the ground that he was no longer in Government service would be recoverable by adjustment of the pay and allowances admissible to him during the period of re-employment (As per GOI decision (5)(2) below Rule 73 of the CCS(Pension) Rules, 1972).



PROFORMA

1. NAME IN FULL :
2. DATE OF BIRTH :
3. SC/ST/OBC/GENERAL CATEGORY :
4. EDUCATIONAL QUALIFICATION :
5. PARTICULARS OF SERVICE IN  
BRIEF WITH DATE FOR EACH  
APPOINTMENT HELD  
( IN CHRONOLOGICAL ORDER )  
( Note: Experience with regard to Labour matter:  
may be specifically mentioned)
6. LAST POST HELD :
7. SCALE OF PAY ATTACHED TO  
THE LAST POST HELD :
8. LAST PAY DRAWN :
9. RESUME OF ANNUAL CONFIDENTIAL  
REPORTS ON THE WORK AND  
CONDUCT OF THE OFFICER DURING  
THE LAST THREE YEARS :
10. ADDRESS FOR COMMUNICATION :
11. PHONE NO (OFFICE)  
(RESIDENTIAL)  
(MOBILE)



सं. ए-11016/ 03 / 2014-सीएलएस-11

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,  
सभी उच्च न्यायालय

विषय: सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, हैदराबाद में पीठासीन अधिकारी के पद को भरना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, हैदराबाद में पीठासीन अधिकारी के पद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 एवं 7ए में यथानिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार जल्द ही भरा जाना है। इन प्रावधानों के अनुसार इस पद को किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा नियोजित किया जा सकता है, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हों या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम तीन वर्षों की सेवा प्रदान की हो। एक सेवारत न्यायाधीश को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7सी के प्रावधानों के अनुसार, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा जारी रख सकता है।

2. सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के पद से जुड़े वेतनमान निम्नानुसार हैं:

- |  |  |
|--|--|
| (i) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) -           | रु. 51,550-1230-58,930-1380-63,070/-                 |
| (ii) जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड)              | रु. 57,700-1230-58,930-1380-67,210-<br>1540-70,290/- |
| (iii) जिला न्यायाधीश (उत्कृष्ट समय वेतनमान)- | रु.70,290-1540-76,450/-                              |


3. अतएव, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे न्यायिक अधिकारियों के नामों के पैनल, जो उपरोक्त उल्लिखित पदस्थापना के स्थानों में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हैं और नियुक्ति की पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, को उपयुक्त अधिकारी के चयन

अधिकारियों का जीवनवृत्त संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारियों के नामांकन को पिछले पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के सार के साथ संलग्न प्रपत्र में विधिवत प्रमाणित करते हुए एसीआर डोजियर तथा सतर्कता मंजूरी के साथ जल्द से जल्द संभव तिथि में अग्रेषित किए जाएं।

4. अतः अनुरोध है कि इस परिपत्र को न्यायालय के सूचना-पट्ट में प्रदर्शित करने के साथ साथ इसका व्यापक प्रचार किया जाए जिससे कि इस पद के लिए आवेदन करने उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त हो।

भवदीय

संलग्न: (i) प्रोफॉर्मा (फॉर्म निदर्शन-पत्र)  
(ii) नियम व शर्तों की प्रतियां




(एस.के. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि मामले विभाग, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस मंत्रालय को ऐसे पात्र न्यायिक अधिकारियों के नामों का पैनल भेज सकते हैं, जो निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हों।
2. सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को इस अनुरोध के साथ कि वे मामले को संबद्ध उच्च न्यायालय में रखें जहां वे कार्य कर रहे हैं जिससे कि संबंधित उच्च न्यायालयों पैनल की प्राप्ति को गति दी जा सके।



(एस.के. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार



केन्द्र सरकार के औद्योगिकी प्राधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने हेतु सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए नियम व शर्तें

- (क) "पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, 65 वर्ष की आयु तक के लिए पद धारण करेगा।"
- (ख) वेतनमान: वेतन को वेतनमान निम्न में निर्धारित किया जाएगा-
- (i) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) - रु. 51,550-1230-58,930-1380-63,070
- (ii) जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) - रु. 57,700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290
- (iii) जिला न्यायाधीश (उत्कृष्ट समय वेतनमान) - रु. 70,290-1540-76,450
- प्रति माह सकल पेंशन, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन, यदि कोई हो, को मिलाकर।
- (ग) **मंहगाई भत्ता:** अधिकारी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु समय-समय पर मान्य नियमों के अनुसार इस शर्त के साथ मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा कि विधि मंत्रालय के पत्र संख्या 66/2/78-न्यायिक, दिनांक 4 अगस्त, 1978 में यथानिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार फिर से रोजगार की अवधि के दौरान पेंशन की राहत को वेतन से कटौती की जा सकती है।
- (घ) **सीसीए/एचआरए/चिकित्सा छूट/परिवहन भत्ता:** केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु मान्य नियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
- (ङ) **अवकाश:** फिर से रोजगार की अवधि के दौरान, अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली), 1972 से अभिशासित होगा।
- (च) **रिहायशी आवास:** केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार वे रिहायशी आवास के हकदार होंगे।
- (छ) **पुनर्नियोजन की अवधि** केन्द्र सरकार के अधीन पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगा।
- (ज) रोजगार को किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा।
- (झ) **सीसीएस (पुनःनियोजित पेंशनरों के वेतन नियतन) आदेश, 1986 के पैरा 12 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार,** अधिकारी अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के लिए हकदार होगा;
- (ञ) **सेवानिवृत्ति के पूर्व की अवधि से संबंधित अधिक भुगतान की कोई भी राशि अथवा ऐसी राशि जिसे उसके शासकीय सेवा में नहीं रहने के कारण बट्टे-खाते में डाल दिया गया हो, को फिर से रोजगार की अवधि के दौरान उसके वेतन तथा भत्तों को समायोजित करते हुए वसूल किया जा सकेगा {सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 की धारा 73 के क्रम में भारत सरकार का आदेश (5)(2) के अनुसार}।**

केन्द्र सरकार के औद्योगिकी प्राधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने हेतु सेवारत न्यायिक अधिकारियों के लिए नियम व शर्तें

- (क) सेवारत न्यायिक अधिकारी भारत सरकार के आदेश (डीओपीटी) संख्या 6/8/2009 -स्थापना (भुगतान-II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) वेतनमान: वेतन को वेतनमान निम्न में निर्धारित किया जाएगा-
- |       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
| (i)   | जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)          | - रु. 51,550-1230-58,930-1380-63,070             |
| (ii)  | जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड)            | - रु. 57,700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290 |
| (iii) | जिला न्यायाधीश (उत्कृष्ट समय वेतनमान) | - रु. 70, 290-1540-76,450 प्रति माह              |
- अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि सामान्य नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति के पद पर रहने के दौरान अपना वेतन नियतन कर सके या समय-समय पर संशोधित नियमों व शर्तों के अधीन अपने मूल विभाग में आहरित वेतन के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति स्थान का भत्ता आहरित कर सके।
- (ग) **मंहगाई भत्ता:** अधिकारी, मूल विभाग में मान्य नियमों के अनुरूप अथवा नियोजनकर्ता सरकार के अधीन नियमों के अनुरूप मंहगाई भत्ते का हकदार होगा, जैसा कि वह यदि अपने मूल विभाग के वेतनमान को बनाए रखता अथवा पद से संबंधित नियोजनकर्ता सरकार के वेतनमान के अंतर्गत वेतन का आहरण करता है।
- (घ) **सीसीए/एचआरए/चिकित्सा छूट/परिवहन भत्ता:** प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान यात्रा हेतु/कार्यग्रहण अवधि वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता को नियोजनकर्ता सरकार के नियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
- (ङ) **अवकाश पेंशन:** प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान अस्थायी स्थानांतरण पर, ऐसे स्थानांतरण होने के पूर्व तक अधिकारी अपने मूल नियोक्ता द्वारा अनुमन्य अवकाश एवं पेंशन नियमों से अभिशासित होना जारी रखेगा, पर केन्द्र सरकार के अधीन पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अवधि के दौरान वह किसी भी अवकाश छुट्टी का हकदार नहीं होगा।
- (च) **रिहायशी आवास:** प्रतिनियुक्ति के दौरान वह नियोजनकर्ता सरकार के नियमों के अनुसार रिहायशी आवास का हकदार होगा।
- (छ) प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के अधीन पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी और केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी द्वारा पद के प्रभार को छोड़ने की तिथि को समाप्त होगा।

## प्रोफॉर्मा

1. पूरा नाम :
2. जन्म तिथि :
3. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग :
4. शैक्षिक योग्यता :
5. संक्षिप्त में की गई प्रत्येक नियुक्ति की तिथि के साथ सेवा का विवरण  
(कालानुक्रमिक क्रम में)  
(नोट: श्रम मामलों से संबंधित अनुभव: विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है)
6. पूर्व पद :
7. पूर्व पद से जुड़ा वेतनमान :
8. अंतिम प्राप्त वेतन :
9. पूर्व तीन वर्षों के दौरान अधिकारी के कार्य और आचरण पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का विवरण :
10. संपर्क के लिए पता
11. फोन नं. (कार्यालय) :  
(आवास)  
(मोबाइल)

